



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-42/2013-14

नरेश यादव वगैरह

बनाम्

चल्हो राय वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 15/11/24

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया नरेश यादव, पे0-सिफलू यादव वो अधिकलाल यादव, पे0-स्व0 हरकू यादव वो मैनु यादव, पे0-स्व0 बैजनाथ यादव वो उन्नति यादव, पे0-स्व0 लालू यादव, सभी साकिनान-कुसमी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-10/2012-13 के आदेश दिनांक-18.05.2013, जिसके द्वारा अपीलकर्तागण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा-बहेलियाकित्ता नं0-678, जमाबंदी सं0-07, दाग नं0-68 रकवा 00-08-13 धुर जमीन से उच्छेद किया गया है, के विरुद्ध दायर किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील मौजा-बहेलियाकित्ता के जमाबंदी सं0-7, दाग नं0-68, रकवा 00-08-13 धुर जमीन से संबंधित है। उक्त जमीन अपीलकर्ता नरेश यादव के दादा बैजनाथ मरीक उर्फ यादव के द्वारा कुर्फानामा से अर्जित किया है एवं उसी समय से उसपर दखलकार हुए। वर्ष 1965 ई0 में संत विनोवा भावे के आह्वान पर लोग भूदान यज्ञ समिति को जमीन दान कर रहे थे। उसी क्रम में उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत ने उक्त जमीन के अलावे अन्य जमीन भूदान भूदान यज्ञ समिति, देवघर को दान कर दिया। बाद में भूदान यज्ञ समिति, देवघर के पदाधिकारी के द्वारा जाँच के क्रम में उक्त जमीन पर अपीलकर्ता के दादा बैजनाथ मरीक उर्फ यादव का पूर्व से दखल पाया। भूदान यज्ञ समिति, देवघर ने बैजनाथ मरीक उर्फ यादव की गरीबी एवं भूमिहीनता को देखते हुए भूदान प्रमाण पत्र दिनांक-18.03.65 के आधार पर उसके साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी। उक्त भूदान प्रमाण पत्र के आधार पर बैजनाथ मरीक उर्फ यादव उक्त जमीन पर दखलकार होकर कृषि

कार्य करने लगे। बाद में भूदान बंदोवस्तदार की मृत्यु के बाद अपीलकर्तागण उक्त जमीन पर दखलकार हुए एवं खेती करने लगे। उक्त भूदान बंदोवस्ती पट्टा को भूदान सम्पुष्टि केश नं०-850/65 आदेश दिनांक-16.08.66 के द्वारा विधिवत रूप से सम्पुष्ट किया गया एवं अपीलकर्तागण सरकार को लगान का भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अपीलकर्तागण का उक्त जमीन पर हक कायम हो गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जो बी०एल०जे० भोल्यूम-II 1979 पृष्ठ सं०-212 में प्रकाशित है, के अनुसार बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के तहत प्राप्त जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन बैजनाथ मरीक, पे०-स्व० खखरू मरीक को भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर के माध्यम से प्राप्त हुआ है एवं उसी समय से बैजनाथ मरीक उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। उनको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-648/रा० दिनांक-19.10.19 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा-बहेलियाकित्ता नं०-678, जमाबंदी सं०-07, दाग नं०-68 रकवा 00-08-13 धुर जमीन गेंजर सर्वे खतियान में मो० बिठली के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत को दो पुत्री स्व० डोमनी एवं स्व० लुखिया देवी थी। दोनों बहनों को उक्त जमीन आधा-आधा मिला था। जमाबंदी रैयत मो० बिठली उत्तरवादी चुल्हो राय के परदादी है एवं सुदन राय परनाती है। अपीलकर्तागण की ओर से जाँच के क्रम में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भूदान पट्टा सम्पुष्टि के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक-146/भू०सु० दिनांक-09.03.2021 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय में भूमि सम्पुष्टि केश पंजी की छानबीन की गयी। भूदानी सम्पुष्टि केश पंजी के पृष्ठ सं०-121 से 131 तक पर वित्तीय वर्ष 1965-66 का भूदानी सम्पुष्टि केश नम्बर दर्ज है, जो क्रमांक 01 से 103 तक है। वित्तीय वर्ष 1965-66 में भूदानी सम्पुष्टि केश नं०-805 दर्ज नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-बहेलियाकित्ता नं०-678, जमाबंदी सं०-07, दाग नं०-68, रकवा 00-08-13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो० बिठली के नाम से दर्ज है। अपीलकर्तागण ने उक्त जमीन भूदान यज्ञ समिति, देवघर से भूदान के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं उनलोगों का यह भी दावा है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के भूदान पट्टा की सम्पुष्टि की गयी है। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 1965-66 में भूदानी सम्पुष्टि केश नं०-805 दर्ज नहीं है। इस प्रकार अपीलकर्तागण का दावा सही प्रतीत नहीं होता है एवं चूँकि उक्त जमीन रैयती जमीन है तथा सन्थाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयती जमीन का हस्तांतरण वैध नहीं है। अतएव भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-10/2012-13 में दिनांक-18.05.73 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।

